राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1095/2012/जयपुर

मै0 प्रदीप सेल्स,
76, जनकपुरी–।, इमली फाटक,जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–एन, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांकः– 12.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर **(जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा)** के द्वारा अपील संख्या 119/अपील्स–।।/आरवीएटी/जयपुर/एन/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–एन, जयपुर **(जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा)** द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत सृजित मांग को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा इस अपील में कर, शास्ति व ब्याज को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी ने वर्ष 2007–08 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लिफ्ट(एलीवेटर्स) की बिक्री किया जाना मानकर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 3,94,457/–तथा कम कर जमा करने के कारण ब्याज रू0 24,580/– आरोपित किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा देय मासिक कर विलम्ब से जमा करवाये जाने के कारण ब्याज रू0 7,120/– तथा चारों तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से पेश करने के कारण शास्ति रू0 5,560/– कुल रू0 4,31,717/– की मांग अपीलार्थी के विरूद्ध सृजित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को बिना कोई नोटिस जारी किये एकतरफा आदेश पारित किया है जो अविधिक है। अधिनियम की धारा 24(5) के अन्तर्गत प्रावधान है कि संबंधित कर निर्धारण वर्ष से दो वर्ष पश्चात आयुक्त महोदय द्वारा समयावधि बढाये बिना कोई कर

निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में विचाराधीन आदेश अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 27.08.2010 को तामील हुआ है अतः यह समय सीमा के बाहर होने के कारण अविधिक है।

4. उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा लिफ्ट को स्थापित किये जाने का कार्य किया है जो कि संकर्म कार्य संविदा की श्रेणी में आता है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी को अवार्ड की गयी कार्य संविदा में माल का सम्पति के रूप में हस्तान्तरण उस समय होता है जब लिफ्ट या एलीवेटर उपभोक्ता के परिसर में स्थापित कर दी जाती है। उनका कथन है कि सशक्त अधिकारी द्वारा एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया इसलिए उसे कानूनी पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है। अग्रिम कथन किया कि लिफ्ट या एलीवेटर विभिन्न पार्ट्स से मिलकर बनता है और यह विवादास्पद नहीं है कि उक्त पार्ट्स राजस्थान राज्य के बाहर से उपभोक्ता के परिसर में लिफ्ट या एलीवेटर स्थापित करने हेतु लाये गये मात्र लिफ्ट या ऐलीवेटर के पार्ट्स परिसर में लाने को कांट्रेक्ट का निष्पादन नहीं माना जा सकता जब तक कि यह पार्ट्स समुचित स्थान पर लिफ्ट या एलीवेटर स्थापित हो जाता है तो यह चल सम्पति नहीं रह जाती। चुँकि यह जमीन से स्थायी रूप से सन्नहित होता है ऐसी स्थिति में इस कार्य संविदा पर अधिनियम की धारा 2(38)(2) के प्रावधान है कि कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयोग किये गये वस्तुओं के मूल्य पर कर आरोपित किया जा सकता है, लागू होते है। चूँकि लिफ्ट के पार्ट्स व भाग राज्य के बाहर के क्रय किये गये है इसलिए यह अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किया गया वर्क्स कांट्रेक्ट है। इस प्रकार वर्क्स कांन्ट्रेक्ट के निष्पादन में प्रयुक्त माल के मूल्य पर कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित मै0 कोने एलीवेटर इण्डिया प्रा0लि0 बनाम तामिलनाडु राज्य व अन्य 39 टैक्स अपडेट 149 का हवाला देते हुए, सृजित मांग को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. सशक्त अधिकारी द्वारा मासिक कर एवं चारों तिमाही के बिक्री विवरण विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज रू. 7120/– तथा शास्ति रू. 5560/–आरोपित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत करने पर उन्होंने उसे यथावत रखा है, जिसे भी इस अपील विवादित किया गया है ।

6.. प्रत्यथी–राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत

समय सीमा में आदेश पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा लिफ्ट की सप्लाई, संस्थापन एवं प्रतिस्थापन का जो कार्य किया गया है वह कार्य संविदा की श्रेणी में नहीं आता बल्कि स्पष्ट रूप से लिफ्ट की बिक्री का संव्यवहार मानकर सशक्त अधिकारी ने इसे लिफ्ट की बिक्री मानते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण किया है, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित ठहराया गया है।

7. प्रकरण में विवादित बिन्दु कि लिफ्ट की सप्लाई, संस्थापन एवं प्रतिस्थापन का जो कार्य व्यवहारी द्वारा किया गया है वह कार्य संविदा के श्रेणी में आता है अथवा लिफ्ट "विक्रय संव्यवार है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) नम्बर 232/2005 के अन्य रिटी पिटीसन्स मैसर्स कोने एलीवेटर इण्डिया प्रा.लि. बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (39 टैक्स अपडेट 149) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के माननीय वृहदपीठ द्वारा लिफ्ट की सप्लाई, संस्थापन एवं प्रतिस्थापन को सकर्म संविदा (contract for works) माना है, जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा इसे बिक्री माना गया है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रकाश में कार्य संविदा की प्रकृति में सम्मिलित होता है। अतः अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि सशक्त अधिकारी अपीलार्थी का कर निर्धारण विवादित टर्नओवर को कार्य संविदा की श्रेणी का टर्नओवर निर्धारित कर तद्नुसार पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है।

7. जहां तक मासिक कर विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा ब्याज रू. 7120/– एवं चारो तिमाही के बिक्री विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण शास्ति रू. 5560/–आरोपित की है,को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों की जांच करने के पश्चात उसे यथावत रखा है,जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का कोईऔचित्य नहीं समझती है क्योंकि बहस के दौरान कोई अन्यथा तथ्य अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती हैं।

8. फलतः अपील का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष